

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
'K'BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002.

DATED 27/01/2020

ORDER


No.F3(34)/2005/F&S/P&C/1317³⁷ In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order GSR 800 dated the 9th June, 1978 and Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-Operatives) Order S.O.681(E) dated the 30th November, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following Order to amend the Delhi Specified Articles(Regulation of Distribution) Order, 1981, namely:-

1. Short title and commencement :- (i) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.
(ii) This order may be called the Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) (Amendment) Order, 2020.

2. Amendment of clause 6:- in the Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981, in clause 6, for sub-clause 7, the following sub-clause, shall be substituted, namely:-

"7. Any person aggrieved by the Order of the Commissioner passed under sub-clauses (5) and (6) may prefer an appeal, in writing, before the Financial Commissioner, Delhi Administration, Delhi. The procedure laid down in regard to submission of appeal before the Commissioner under sub-clauses (1) to (5) shall mutatis- mutandis apply to the appeals before the Financial Commissioner, Delhi Administration, under this sub-clause."


BY order and in the name of
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,



SECY-CUM-COMMISSIONER
FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Pr. Secretary to L.G./O.S.D. to C.S., Delhi/Secretary to M.F.S/Administrative Reform Deptt., Delhi.
3. Addl. Secretary to Chief Minister, Delhi.
4. Secretary to Minister, F&S.
5. Secretary to Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
6. P.S. to CFS.
7. Spl. Comm./Jt. Comm./ACs, F&S Department, GNCT of Delhi.
8. All FSOs (H.Q.), F&S Department, Delhi.
9. Supdt. Co-ordination (GAD), Govt. of NCT of Delhi, with Hindi version for publication in Delhi Gazette Extra-ordinary, with the request to send 10 copies of Gazette Notification to the Department for official purpose.
10. Directorate of Information and publicity, Govt. of NCT of Delhi.
11. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
12. Commissioner of Police, Delhi.
13. Divisional commissioner, Delhi.
14. PS to Financial Commissioner, Delhi.
15. Director, Prosecution, GNCT of Delhi.
16. Registrar, Delhi High Court
17. District and Session, Judge, Tis Hazari, Patiala House, Karkardooma, Rohini, Dwarka, Saket Courts
18. The General Secretary, Delhi Sarkari Ration Dealer Sangh, Shop No. 2-3, C-4 DDA Market, 1st Floor, Lawrence Road, Keshav Puram, Delhi – 110035.
19. The President, Public Distribution System Welfare Association (Delhi) 3242 School Street, Pahar Ganj, New Delhi – 1100055
20. The President, All India Fair Price Dealers Federation, Plot No. 1028, Village & P.O. Tikri Kalan, Delhi – 110041.
21. SSA (Computer), F&S Department for uploading on the website of the Department.



SECY-CUM-COMMISSIONER
FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्त : खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप
के— ब्लाक, विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली — 110002

दिनांक: 27/01/2020

आदेश

सं० फा० ३(३४) / २००५—एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी) / १३१७ - १३३७ कृषि एवं
सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार के दिनांक ९ जून १९७८ के आदेश
जीएसआर ८०० तथा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति एवं
सहकारिता विभाग) के दिनांक ३० नवम्बर १९७४ के आदेश एस ओ ६८(इ) के
साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ की
उपधारा (२) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण
का विनियम) आदेश, १९८१ में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते
हैं। अर्थात् :—

१. राष्ट्रिय शीर्षक एवं प्रारंभ : (i) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से
लागू होगा।

(ii) इस आदेश को दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु
(वितरण का विनियम)(संशोधन) आदेश
२०२० कहा जाये।

२. खण्ड ६ का संशोधन :— दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियम)
आदेश, १९८१, खण्ड ६ में, उपखण्ड ७ के लिए निम्नलिखित उपखण्ड
प्रतिरथापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ ७. उपखण्ड (५) तथा (६) के अन्तर्गत पारित आयुक्त के आदेश से असंतुष्ट
कोई भी व्यक्ति वित्तीय आयुक्त दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के समक्ष लिखित में
अपील कर सकता है। इस उपखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय आयुक्त दिल्ली

प्रशासन के समक्ष अपील के लिए उपखण्ड (1) से (5) के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के संबंध में अपनाई जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया होगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ग्रन्ति

सचिव - सह-आयुक्त
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. सचिव, उपराज्यपाल / ओ एस डी, मुख्य सचिव, दिल्ली / सचिव, एम.एफ.एस / प्रशासनिक सुधार विभाग दिल्ली ।
3. अपर मुख्यमंत्री, दिल्ली के सचिव ।
4. सचिव, उपभोक्ता कार्यकलाप मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. निःस०, सीएफएस ।
6. विशेष आयुक्त / सहायक आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
7. समस्त खाद्य आपूर्ति अधिकारी (क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के माध्यम से) खाद्य एवं आपूर्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
8. अनुभाग अधिकारी, समन्वय (सा०प्रा०वि०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हिन्दी अनुवाद सहित दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशानार्थ । कृपया कार्यालयी प्रयोजनार्थ राजपत्र अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को भिजवायें ।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
10. सचिव, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
11. आयुक्त, दिल्ली पुलिस ।
12. मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।
13. निःस०, वित्तीय आयुक्त, दिल्ली ।
14. निदेशक, अभियोजन, दिल्ली सरकार ।
15. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
16. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कडकड़ूमा, राहिणी, द्वारका, साकेत न्यायालय ।
17. महासचिव, दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ, दुकान नं० 2-3, सी-4, डीडीए मार्किट, प्रथम तल, लारेंस रोड केशव पुरम, दिल्ली -110035 ।
18. अध्यक्ष, जन वितरण प्रणाली कल्याण संघ (दिल्ली) 3242, रकूल स्ट्रीट, पहाड़ गंज, नई दिल्ली -55 ।
19. अध्यक्ष, आल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन, प्लाट नं० 1028, गांव एवं डाकखाना टीकरी कलां, दिल्ली -41
20. एस०एस०ए० (कम्प्यूटर) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

अभिनव
सचिव - सह-आयुक्त
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप